विजिल मैकेनिज्म / व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी

1. पृष्ठभूमि

आईएफसीआई, जो भारत का प्रथम वित्तीय संस्थान है, अब भारतीय रिजर्व बैंक में एक एनबीफसी-एनडी-एसआई के रूप में पंजीकृत है और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सूचीबद्ध सरकारी कम्पनी है, ने विभिन्न स्रोतों जैसे कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), वित्त मंत्रालय, कर्मचारियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का निपटान करने के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार किया हुआ है। आईएफसीआई का सतर्कता विभाग ऐसे मुद्दों का प्रभावी तरीके से निपटान करता है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) एवं (10) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए विजिल मैकेनिज्म की स्थापना करे ताकि वे यथानिर्धारित रूप में प्रामाणिक चिन्ताओं के बारे में रिपोर्ट कर सकें। विजिल मैकेनिज्म उन निदेशकों, कर्मचारियों के अत्याचार के विरुद्ध पर्याप्त बचाव करे जो ऐसे मैकेनिज्म का उपयोग किसी सुरक्षित प्रकटन के लिए करें और उचित या असाधारण मामलों में लेखा-परीक्षा के अध्यक्ष की सीधी पहुंच के लिए प्रावधान करें।

इसके अतिरिक्त, निदेशक और कर्मचारी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद फ्राड, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन अथवा अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटन का संदेह अथवा आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड व कर्मचारियों हेतु कम्पनी की आचार संहिता तथा नैतिकता सम्बन्धी पॉलिसी के उल्लंघन के बारे में विजिल मैकेनिज्म के अधीन वाजिब चिन्ताओं को रिपोर्ट कर सकते हैं। व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी विजिल मैकेनिज्म का एक अभिन्न भाग है और जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अत्याचार के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है जो चिंताओं को रिपोर्ट करने के लिए ऐसे मेकेनिज्म का प्रयोग करते हैं।

उद्देश्य

व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी/विजिल मैकेनिज्म का उद्देश्य एक ऐसे मैकेनिज्म की स्थापना करना है जिसके अन्तर्गत किसी कर्मचारी/लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्ट कृत्य अथवा जानबूझ कर दुरुपयोग करने अथवा विवेक का जानबूझ कर दुरुपयोग करने, किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद फ्राड, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन अथवा अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटन का संदेह अथवा आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड व कर्मचारियों हेतु कम्पनी की आचार संहिता तथा नैतिकता सम्बन्धी पॉलिसी के उल्लंघन के बारे में वाजिब चिन्ताओं की रिपोर्ट सम्बन्धी किसी आरोप के बारे में प्रकटीकरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त करने तथा ऐसे प्रकटीकरण के सम्बन्ध में जांच करने अथवा जांच करवाने अथवा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति को पीड़ित किए जाने की संभावना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध करना है, बशर्ते कि ऐसा प्रकटीकरण अथवा शिकायत नेकनीयती एवं उचित समय के अंदर की गई हो।

2. परिभाषाएं

(क) "लेखा-परीक्षा समिति" का अभिप्राय सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के उचित प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा "लेखा-परीक्षा समिति" का गठन करना है।

(ख) "बोर्ड" का अभिप्राय आईएफसीआई लिमिटेड या आईएफसीआई का निदेशक बोर्ड है ।

(ग) "शिकायत" का अभिप्राय इस पॉलिसी के अनुरूप कम्पनी के किसी निदेशक या कर्मचारी द्वारा की गई लिखित में अनुचित क्रियाकलाप की अभिव्यक्ति है ।

(घ) "शिकायतकर्ता" या "व्हिसिल ब्लॉअर" का अभिप्राय उस शिकायतकर्ता से है जो इस पॉलिसी के अधीन सुरक्षित प्रकटन करता है ।

(ड.) "सक्षम प्राधिकारी" का अभिप्राय निदेशक बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति का अध्यक्ष है ।

(च) "अनुचित गतिविधि" का अभिप्राय कम्पनी के कर्मचारी द्वारा उसके शासकीय कार्य के दौरान की गई गतिविधि है चाहे यह कार्य उसके रोजगार के अंदर है या नहीं और यह किसी कानून या कर्मचारियों पर लागू कम्पनी की आचार संहिता के उपबन्धों का उल्लंघन है, जिसमें भ्रष्टाचार, रिश्वत, चोरी, कम्पनी की सम्पत्ति का दुरुपयोग, छलपूर्ण दावा, वास्तविक या संदेहप्रद धोखाधड़ी, ड्यूटी को करने में जानबूझ कर चूक, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का वास्तविक या संदेहप्रद रहस्योदघाटन आदि शामिल हैं ।

(छ) "सुरक्षित प्रकटन" का अभिप्राय कम्पनी के निदेशक/कर्मचारी द्वारा लिखित में और अच्छी नियत से किया गया प्रेषण है, जिसमें कम्पनी से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में अनुचित गतिविधि का प्रमाणिक संप्रेषण है । सुरक्षित प्रकटन वास्तवित होना चाहिए और यह काल्पनिक नहीं होना चाहिए या यह व्याख्यात्मक/निष्कर्ष की प्रकृति का नहीं होना चाहिए और इसमें जहां तक संभव हो उतनी हो विशिष्ट सूचना होनी चाहिए जो इसकी प्रकृति का सही मूल्यांकन और चिन्ता की सीमा को दर्शा सके ।

3. प्रकटीकरण कौन कर सकता है

व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी के अंतर्गत, आईएफसीआई के बोर्ड में कोई भी निदेशक, आईएफसीआई के कर्मचारी या इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रकटीकरण कर सकता है।

4. व्हिसिल ब्लॉअर को सुरक्षा

इस व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी के अंतर्गत, आईएफसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के अंतर्गत किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद फ्राड, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन अथवा अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटन का संदेह अथवा आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड व कर्मचारियों हेतु कम्पनी की आचार संहिता तथा नैतिकता सम्बन्धी पॉलिसी के उल्लंघन के बारे में वाजिब चिन्ताओं की रिपोर्ट सम्बन्धी सुरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए अथवा जांच में सहयोग करने के लिए व्यक्ति को किसी कार्यवाही अथवा अन्य प्रकार से इसलिए पीड़ित न किया जाए कि उसने आईएफसीआई में सिर्फ किसी भ्रष्ट कृत्य अथवा शक्तियों या विवेक के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चेतावनी दी है। व्हिसिल ब्लॉअर की पहचान तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता ने शिकायत के ब्योरे को सार्वजनिक न किया हो अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अपनी पहचान नहीं बताई हो ।

सुरक्षा प्रदान की जाएगी बशर्तेः

i. प्रकटन/शिकायत ठीक नीयत से किया गया हो ।

ii. शिकायतकर्ता/व्हिसिल ब्लॉअर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिकायत न कर रहा हो ।

iii. शिकायतकर्ता/व्हिसिल ब्लॉअर को यह विश्वास हो कि शिकायत/प्रकटन में दी गई सूचना या आरोप पर्याप्त रूप से सही हैं ।

व्हिसिल ब्लॉअर के रूप में चेतावनी देने वाला कर्मचारी यदि ऐसी किसी कार्रवाई से आहत है कि उसे इस वजह से पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत अथवा प्रकटीकरण किया है, तो वह अध्यक्ष, लेखा-परीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो, के समक्ष मामले के निपटान के लिए आवेदन कर सकता है जो बाद में इस पर ठीक समझी जाने वाली कार्रवाई करेगा । इसके बावजूद यदि आईएफसीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी की यह राय है कि शिकायतकर्ता अथवा गवाह को संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ उठा सकता है ।

तथापि, यदि शिकायत को तंगकारी अथवा भ्रामक पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर सकते हैं।

5. अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन या अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटीकरण के संदेह की रिपोर्ट करना

किसी भी व्यक्ति जिसे अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का प्रकटन या अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के प्रकटीकरण करने के संदेह हो, वह पॉलिसी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस घटना की रिपोर्ट कर सकता है ।

6. प्रकटीकरण प्रक्रिया / विजिल मैकेनिज्म के अधीन शिकायत

आईएफसीआई का यह दायित्व होगा कि वह प्रकटीकरण करने वाले निदेशकों, कर्मचारी की पहचान गुप्त रखे । अतः, संरक्षित प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना होगाः

(i) शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में की गई हो और उसे निम्नानुसार बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष को सम्बोधित की गई होः

अध्यक्ष
निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति
आईएफसीआई लिमिटेड
आईएफसीआई टावर, **61** नेहरु प्लेस
नई दिल्ली - **110 019**

(ii) लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित प्रकटन" लिखा गया हो । यदि लिफाफे पर मोटे अक्षरों में नहीं लिखा गया है और उसे बंद नहीं किया गया है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखना संभव नहीं हो सकेगा तथा ऐसी शिकायत का संगठन की सामान्य शिकायत निपटान नीति के अनुसार निपटान किया जाएगा । शिकायतकर्ता अपना नाम अथवा पता शिकायत के प्रारम्भ अथवा अंत में अथवा इसके साथ संलग्न किए गए पत्र में दे। नाम, पते आदि के सम्बन्ध में कोई भी विवरण, जो शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट करता हो, का उल्लेख लिफाफे पर न किया जाए ।

(iii) अज्ञात / छद्मनाम वाली शिकायतों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

(iv) शिकायत का ब्योरा इस ढंग से लिखा जाए कि इससे उसकी पहचान के बारे में कोई संकेत प्रकट न हो । तथापि, शिकायत का ब्योरा विशिष्ट एवं सत्यापनीय हो ।

(v) व्यक्ति की पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, आईएफसीआई कोई पावती जारी नहीं करेगा और व्हिसिल ब्लॉअरों को सूचित किया जाता है कि वह अपने हित में आईएफसीआई के साथ कोई पत्र-व्यवहार न करें । आईएफसीआई विश्वास दिलाता है कि तथ्यों के सत्यापित किए जा सकने की स्थिति के अधीन, आईएफसीआई पॉलिसी में प्रावधान किए गए अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा । यदि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होगा तो आईएफसीआई शिकायतकर्ता के साथ सम्पर्क करेगा ।

(vi) व्हिसिल ब्लॉअर को उसके द्वारा किए गए प्रकटन के सम्बन्ध में अनुस्मारक भेजने या आगामी कार्य/कृत्य करने से बचना चाहिए ताकि उसकी पहचान को गुप्त रखा जा सके ।

(vii) कोई भी कर्र्मचारी जो इस पॉलिसी के अधीन जानबूझ कर झूठे आरोप लगाता है, तो उसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है और व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी के अन्तर्गत उसका बचाव नहीं किया जाएगा ।

(viii) शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि शिकायतकर्ता की पहचान नहीं दी जाएगी या इसे असत्य या सही नहीं पाया जाता ।

7. व्हिसिल ब्लॉअर शिकायतों की निपटान प्रक्रिया

1) "व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित प्रकटन" लिखे सभी लिफाफों को निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी कार्मिक द्वारा खोला जाएगा ।

2) जैसे ही निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी के अधीन शिकायतों को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी जिसमें पॉलिसी के अधीन प्राप्त प्रकटन के संक्षिप्त विवरण का उल्लेख किया जाएगा और शिकायतकर्ता को एक अद्धितीय संदर्भ संख्या (यूआरएन) दी जाएगी ।

3) शिकायत के मामले में आगामी पत्राचार का सम्बोधन इस यूआरएन के माध्यम से किया जाएगा ।

4) शिकायत के प्राप्त होने की उचित अवधि के अन्दर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक पावती दी जाएगी जो चयनित आधार पर व्हिसिल ब्लॉअर को प्रारम्भिक उत्तर देने के बाद दी जाएगी ।

5) प्राप्त शिकायत पर समर्थित दस्तावेजों सहित प्राधिकृत अधिकारी एक संक्षिप्त नोट तैयार करेगा और इसे आवश्यक निर्देशों के लिए निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा । तैयार किए गए नोट में शिकायतकर्ता की पहचान के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं होगा ।

6) यदि किसी शिकायत में कोई गंभीर मुद्दा होगा तो यह प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नोटिस में लाया जाएगा । तथापि, व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित निर्णय के मामले में, यह बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, के नोटिस में लाया जाएगा ।

पॉलिसी के अधीन प्राप्त शिकायतों पर एक आवधिक रिपोर्ट को समीक्षा के लिए निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

7**)** धोखाधड़ी या इससे सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों को, जिनमें सतर्कता सम्बन्धी उलझनें है, मुख्य सतर्कता अधिकारी के नोटिस में आगामी कार्रवाई हेतु लाया जाएगा ।

8. विजिल/व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी में संशोधन

आईएफसीआई के पास इस पॉलिसी में किसी भी समय बिना कारण बताए समग्र रूप से अथवा आंशिक तौर पर संशोधित अथवा परिवर्द्धित करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. क्रियान्वयन का दायित्व

आईएफसीआई में विजिल मैकेनिज्म के निरीक्षण का उत्तरदायित्व आईएफसीआई के निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति का होगा ।

10. वेबसाइट पर प्रचार

इस व्हिसिल ब्लॉअर पॉलिसी को वेबसाइट पर डाला जाएगा एवं आईएफसीआई के कर्मचारियों को इसकी जानकारी देने के लिए इन्ट्रानेट के माध्यम से परिचालित किया जाएगा ।

****